तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज	

मदन बाई बनाम धीमाराम वगैरह, मुकदमा संख्या :— 236/2014

06.08.2024

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा बावरला के नवसृजित ग्राम विष्णुनगर में प्रार्थीया के बाप—दादों की पुश्तैनी खसरा संख्या 27 रकबा 5.42 हैक्टेयर, खसरा संख्या 209 रकबा 1.54 हैक्टेयर, खसरा संख्या 232 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा संख्या 233 रकबा 1.09 हैक्टेयर, खसरा संख्या 240 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1018 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1025 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1026 रकबा 1.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1034 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1035 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1036 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1037 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1038 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1039 रकबा 0.83 हैक्टेयर, जुमले रकबा 17.13 हैक्टेयर के आये हुए है। जिसमें प्रार्थीया 1/6 हिस्सा मालिकाना हकहकूक पुश्तैनी कब्जा काश्त का आया हुआ है। प्रार्थीया ने अपने हकहकूक की भूमि दर्ज करते हुए प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में शिविर प्रभारी को प्रार्थना—पत्र पेश किया गया, जिस पर शिविर प्रभारी ने पटवारी हल्का—बावरला को इस संबंध में जांच कर कार्यवाही करने के आदेश दिये, लेकिन पटवारी हल्का ने मिलावट कर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की। बिना जांच मिलावटी ढंग से अवैध व विधि विरूद्व तरीके से अप्रार्थीगण का नाम दर्ज कर प्रार्थीया को अपने पुश्तैनी हकहकूक से वंचित कर दिया। वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण का अवैध व विधि विरूद्व दर्ज नाम का नाजायज फायदा उठाकर गलत तरीके से अप्रार्थी संख्या 12 के यहां से रहन प्राप्त कर लिया तथा प्रार्थीया को अप्रार्थीगण एक नाजायज गिरोह के साथ एलानियां धमकीयां देते है कि वादग्रस्त भूखण्ड से आप पुश्तैनी कब्जा काश्त खाली करो, अन्यथा जबरन बेदखल करेंगे। इस प्रकार प्रार्थीया का उक्त पुश्तैनी आराजी पर पुश्तैनी कब्जा है। ऐसी सुरत में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रकार तीनो मूलभूत कानुनी स्तंभ प्रार्थीया के पक्ष में होने से प्रार्थीया अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया प्रार्थीया का प्रार्थना—पत्र सारहीन, आधारहीन व गलत तथ्यों पर पेश करने से प्रार्थीया का प्रार्थना—पत्र खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना—पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:— आदेश :—

अतः प्रार्थीया के पक्ष में तथा [illegible] के विरू[illegible]वाद निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी [illegible] जा[illegible] कि मौजा बावरला के नवसृजित ग्राम विष्[illegible] 27, 209, 2010, 211, 232, 233, 240, [illegible] 1025, 1026, 1034, 1035, 1036, 1037, 103[illegible] जुमले [illegible].13 हैक्टेयर की अप्रार्थीगण मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बन[illegible] रखें तथा किसी प्रकार का बेचान, रहन नहीं करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्ट्रैक) सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.12 16:53:06 IST
Reason: SelfAttested